(अ) (५५)

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4/2018 नेमीचन्द V/S चमेली	
3/10/19	वकील उभयपक्ष उप.। बहस हेतु समय चाहा। अत: पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 31/10/19 को पेश हो। हस्ता. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
31/10/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/11/19 को पेश हो।	
14/11/19	वकील उभयपक्ष उप.। बहस हेतु समय चाहा। अत: पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 28/11/19 को पेश हो। हस्ता. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
28/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/12/19 को पेश हो।	
5/12/19	अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। अन्तिम आवाज 4.00 P.M. पर लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अत: यह अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। हस्ता. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

कैम्प अलवर 3/5/18

2018/00076

सेवामें,

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर

अपील संख्या —4/— सन 2018

रीडर पेश 24/5

1— नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल उम्र 72 साल जाति साहू निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज.

——— अपीलाण्ट

बनाम

1— चमेली पुत्री मनोहर लाल पत्नि वेदप्रकाश जाति साहू उम्र करीब 71 साल निवासी बी—62 मयूर विहार, दिल्ली

2— छोटी पुत्री मनोहर लाल पत्नि रतिराम जाति साहू उम्र करीब 70 साल निवासी बीवा तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह (हरि०)

3— शीला पुत्री मनोहर लाल पत्नि तेजप्रकाश जाति साहू उम्र करीब 62 साल निवासी 1923--ए गली नंबर 09 रा गढ विस्तार, दिल्ली--31

——— रैस्पाडेण्टान

राजस्व अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 04—04—2018 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर राज. जिसके द्वारा विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर रैस्पाडेण्ट द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 30—05—1993 बाबत नामांतकरण संख्या 1391 ग्राम लक्ष्मणगढ के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार की गई — बमुराद मंसूखी उपरोक्त निर्णय

महोदया,
अपील
(1) पूर्ति कोर्ट फीस पर है
(2) अभाअत अदालत है
(3) अन्दर मियाद है
(4) दस्तावेज पूर्ति है
(5) ... नहीं है
आदेशार्थ

तहत अदालत एवं मंजूर किए जाने अपील अपीलाण्ट
व दीगर दादरसी ।

श्रीमान,

उज्रात अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1— यहकि निर्णय दिनांक 04—04—2018 से यह अपील मामूलन अंदर अवधि पेश है ।

2— यहकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर राज. के निर्णय के खिलाफ यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है ।

3— यहकि अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस 2 रूपया चस्पा है तथा आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है ।

4— यहकि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मनोहर लाल अपीलाण्ट व रैस्पाडेण्टान के पिता थे । जिसकी मृत्यु होने के उपरांत मृतक मनोहर लाल का इंतकाल विरासत संख्या 1391 दिनांक 30—05—1993 को अपीलाण्ट तथा अपीलाण्ट की माता यशोदा देवी के नाम समभाग स्वीकृत कर दिया जिस निर्णय के खिलाफ रैस्पाडेण्टान ने तहत अदालत में अपील प्रस्तुत की । जिस अपील का तहत अदालत ने दिनांक 04—04 2018 को निर्णय करते हुए विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर अपील मंजूर कर तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 30—05—1993 नामांतकरण संख्या 1391 निरस्त कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस